



मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल दिनांक 14 फरवरी, 2020

क्रमांक 1450/एफ-3-15/2018/तेरह : राज्य शासन, एतद्द्वारा, प्रदेश की सभी विद्युत कंपनियों के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधान अनुसार प्रबंध संचालकों की नियुक्ति हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन करता है :-

1.	मुख्य सचिव, म.प्र.शासन	—	अध्यक्ष
2.	न्यायमूर्ति श्री शंभू सिंह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.	—	सदस्य
3.	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलपति	—	सदस्य
4.	मुख्य महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लोकल हेड ऑफिस, भोपाल	—	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग	—	सदस्य

अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा चयन समिति के संयोजक होंगे। चयन समिति का कार्यकाल आदेश जारी करने की तिथि से दो वर्ष का रहेगा। उक्त समिति अपने कार्यकाल में प्रदेश की सभी विद्युत कंपनियों के प्रबंध संचालकों के चयन संबंधी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल से नाम से
तथा आदेशानुसार,

(पी.के.चतुर्वेदी)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 1451/एफ-3-15/2018/तेरह
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी, 2020

1. मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. न्यायमूर्ति श्री शंभू सिंह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एफ-32, एमआईजी कालोनी, किश्चियन कॉलेज के पीछे, इन्दौर म.प्र.।
3. कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल।
4. मुख्य महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लोकल हेड ऑफिस, होशंगाबाद रोड भोपाल।
5. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. ऊर्जा मंत्रीजी, भोपाल।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग